न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 68 सन 2022

अनवान :–

1. भारतभूषण पुत्र बाबूलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शान्तिदेवी पत्नी बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा ।
2. रतनलाल पुत्र बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
3. शकरलाल पुत्र बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
4. सुरेश कुमार पुत्र बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
5. पवन कुमार पुत्र बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
6. सन्तोष अग्रवाल पुत्री बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
7. सुलोचना गोयल पुत्री बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
8. शकुन्तला देवी पुत्री बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
9. बिन्दुरानी पुत्री बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
10. उषा बंसल पत्नी पुश्योतम जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
11. विवेक बंसल पुत्र पुश्योतम जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
12. कपिल बंसल पुत्र पुश्योतम जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
13. ज्योति गोयल पुत्री पुश्योतम जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
14. सुनिता पत्नी किशनलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
15. राम बसंल पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
16. भूमि पुत्री किशलाल नाबालिग जरिये माता सुनिता पत्नी किशनलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 22/02/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही गौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 61/61 की कुल 6.3746हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज बाबूलाल पुत्र लच्छीराम के नाम से दर्ज थी बाबूलाल पुत्र लिच्छीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र /पुत्रीया एवं बाबुलाल पुत्र लिच्छीराम के मृतक पुत्र पुरूषोतम एव किशनलाल के देहान्त होने पर उनके वारिसान पुत्र/पुत्रीया के नाम से दर्ज हुई है अर्थात वाद भूमि बाबूलाल पुत्र लिच्छीराम के जायत वारिसान एवं मृतक पुत्रो के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से दर्ज है का उनके पूर्वज बाबूलाल के समय में ही बाहमी बटवारा किया हुआ है जिसमें वाद भूमि वादी को प्राप्त हुई थी एवं अन्य चको की भूमिया प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई थी अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी के कब्जा काश्त में बाहमी बटवारा के अनुसार चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज बाबुलाल पुत्र लिच्छीराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने एव बाबुलाल के पुत्रों पुरूषोतम व किशनलाल के देहान्त होने के कारण बाबुलाल के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने निवेदन किया की वाद भूमि के सम्बध मे उनके पूर्वज बाबूलाल ने अपने जीवनकाल में ही बाहमी बटवारा कर दिया था जिसमें वादी भूमि वादी को प्राप्त हुई थी प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है वाद भूमि वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसे वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 17 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 61/61 की कुल 6.3746हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज बाबूलाल पुत्र लच्छीराम के नाम से दर्ज थी बाबूलाल पुत्र लिच्छीराम के देहान्त होने के वाद विरासत से वाद भूमि उनके पुत्र /पुत्रीया एवं बाबुलाल पुत्र लिच्छीराम के मृतक पुत्र पुरूषोतम एव किशनलाल के देहान्त होने पर उनके वारिसान पुत्र/पुत्रीया के नाम से दर्ज हुई है अर्थात वाद भूमि बाबूलाल पुत्र लिच्छीराम के जायत वारिसान एवं मृतक पुत्रो के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से दर्ज है का उनके पूर्वज बाबूलाल के समय में ही बाहमी बटवारा किया हुआ है जिसमें वाद भूमि वादी को प्राप्त हुई थी एव अन्य चकों की भूमिया प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई थी अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी के कब्जा काश्त में बाहमी बटवारा के अनुसार चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहरा सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 61/61 की कुल 6.3746हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उनके पूर्वज बाबूलाल पुत्र लिच्छीराम के नाम से दर्ज है वादी के पूर्वज बाबूलाल पुत्र लिच्छीराम एवं उनके पुत्र पुरुषोतम एवं किशनलाल के देहान्त होने पर उनके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी के कथनों को प्रतिवादी सख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि का बाबुलाल पुत्र लिच्छीराम ने अपने जीवनकाल में बाहमी बटवारा कर दिया गया था बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी को प्राप्त हुई थी जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी को प्राप्त हुई है प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया हुआ है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 61/61 की कुल 6.3746हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. भारतभूषण पुत्र बाबूलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

यादी

बनाम

1 शान्तिदेवी पत्नी बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा ।
2. रतनलाल पुत्र बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
3. शंकरलाल पुत्र बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
4. सुरेश कुमार पुत्र बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
5. पवन कुमार पुत्र बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
6. सन्तोष अग्रवाल पुत्री बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
7. सुलोचना गोयल पुत्री बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
8. शकुन्तला देवी पुत्री बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
9. बिन्दुरानी पुत्री बाबुलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
10. उषा बंसल पत्नी पुरुषोतम जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
11. विवेक बंसल पुत्र पुरुषोतम जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
12. कपिल बंसल पुत्र पुरुषोतम जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
13. ज्योति गोयल पुत्री पुरुषोतम जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
14. सुनिता पत्नी किशनलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
15. राम बंसल पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा
16. भूमि पुत्री किशनलाल नाबालिग जरिये माता सुनिता पत्नी किशनलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 68 सन 2022 निर्णय दिनांक– 22/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सा बुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 61/61 की कुल 6.3746हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner